

पालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

नीटारीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 44/2021, GCM5 NO 2021/226

दायरा तिथि : 21.09.2021

आदेश तिथि : 14-5-22

प्रार्थी :-

श्री हरीश कुमार पुत्र रूपाराम जाति जणवा चौधरी
निवासी बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम,
2012 बाबत राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध कराने**

आदेश

दिनांक 14-5-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 575 रकबा 1.24 हैक्टर किरम बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा धणी के खसरा नंबर 574 रकबा 0.2800 हैक्टर किरम बारानी दोयम प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में हरा रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2021/1216 दिनांक 17.12.2021 से रेकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 575 रकबा 1.24 हैक्टर किरम बारानी दोयम की भूमि हरीश कुमार पुत्र रूपाराम जाति जणवा चौधरी निवासी बमणिया तहसील बाली के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. स. | खसरा नंबर | रकबा | किरम | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---------|-----------|-------------|--------|--|----------------------|
| 1 | 574 | 0.28 हैक्टर | बा.दो. | 80 X 6 = 480 वर्गमीटर (0.0480 हैक्टर) | राजकीय सिवाय चक भूमि |

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम धणी की डी.एल.सी.नं. 230040/- रुपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नहीं है। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल में से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशासकीय की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी श्री श्रीपालसिंह व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार—2

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)



//2//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 44/2021 GCM5 NO 2021/220


अनवान हरीश कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2021/1216 दिनांक 17.12.2021के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा धणी के खसरा नंबर 575 रकबा 1.24 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा धणी के खसरा नंबर 574 रकबा 0.26 हैक्टर बारानी दोयम में से $80 \times 6 = 480$ वर्गमीटर रास्ता नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

| नाम ग्राम | ख.न. | कुल क्षेत्रफल (हैक्टर) | किस्म | रास्ते के लिए प्रभावित क्षेत्रफल | डीएलसी दर 230040/- रुपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.) | वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी) |
|-----------|------|------------------------|--------|---|--|--|
| धणी | 574 | 0.26हैक्टर | बा.दो. | $80 \times 6 = 480$ वर्गमीटर (0.0480 हैक्टर) | 23.004 रुपये प्रति व.मी | 22083.84 |

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार 22083.84 पुर्णांक 22084/- (अक्षरे बाईस हजार चौरासी रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष में जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे।
मिसल फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(सुपरी धारा 251ए अधिकाारी)
बाली, जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 14-5-22

पत्रांक : कोर्ट / 2022 / 1151 -55

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक खुडाला
3. पटवारी हल्का धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री हरीश कुमार पुत्र रूपाराम जाति जणवा चौधरी निवासी बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)